अजय कुमार मित्तल *न्यायाधीश*, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जसपाल सिंह, *न्यायाधीश के समक्ष*

हरियाणा राज्य-अपीलकर्ता

बनाम

हिंदुस्तान मैसिहने टोल्स लिमिटेड
और अन्य-उत्तरदाता

2012 का एलपीए नंबर 377

सितम्बर 30,2014

क. परिसीमा अधिनियम, *1963* - धारा *29(2)* - जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून अनुसूची द्वारा विहित अवधि से भिन्न परिसीमा की अवधि विहित करती है - धारा *29(2)* में उल्लिखित भाषा से यह अपेक्षा नहीं है कि विशेष संविधि को विशिष्ट उपबंधों के अपवर्जन के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध करना चाहिए - प्रतिमा में वर्णित भाषा के सार से यह एकत्र किया जाना है कि क्या उसका प्रभाव बहिष्करण के अलावा और कुछ नहीं है।

*(*ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि 1963 के अधिनियम की धारा 29(2), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि जहां कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा की अवधि से भिन्न परिसीमा की अवधि विहित करती है वहां धारा 3 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा विहित अवधि हो और किसी वाद के लिए विहित परिसीमा की किसी अवधि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा अपील या आवेदन, धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान केवल तब तक लागू होंगे जब तक, और उस सीमा तक, उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है। जब कोई विशेष क़ानून सीमा की निश्चित अवधि निर्धारित करता है, तो विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि प्रबल होगी और उस सीमा तक 1963 अधिनियम के प्रावधान बाहर रखे जाएंगे। उनमें से कोई भी बाहर नहीं है, तो डायल स्थिति में वे सभी लागू होंगे। हमारी राय में, 1963 के अधिनियम की धारा 29 (2) में उल्लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं है कि विशेष क़ानून को स्पष्ट रूप से विशिष्ट प्रावधान के बहिष्करण के लिए प्रदान करना चाहिए, लेकिन यह क़ानून में उल्लिखित भाषा के सार से इकट्ठा किया जाना है कि क्या इसका प्रभाव भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी में सुप्रीम कोर्ट के लिए बहिष्करण के अलावा कुछ भी नहीं है, एआईआर 2001 एससी 4010 ने अपने पहले के निर्णय के मद्देनजर 1963 अधिनियम की धारा 29 (2) का विश्लेषण करते हुए

हुकुमदकेवी नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्रा, एआईआर 1974 एससी 480 में यूएनडीसीआर के रूप में देखा गया था: -

> भाषा के अलावा, 'एक्सप्रेस बहिष्कार' विशेष या स्थानीय कानून की योजना और उद्देश्य से पालन कर सकता है। यहां तक कि एक आसानी में जहां विशेष कानून एक एक्सप्रेस संदर्भ द्वारा सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को बाहर नहीं करता है, फिर भी यह न्यायालय के लिए खुला होगा कि क्या और किस हद तक उन प्रावधानों की प्रकृति या विषय-वस्तु की प्रकृति और विशेष कानून की योजना ने उनके संचालन को बाहर रखा है।
>
> (पैरा 7)

जन्म। रुग्ण औद्योगिक कंपनी *(विशेष प्रावधान)* अधिनियम, *1985* - धारा *25(1)* परंतुक - परिसीमा अधिनियम, *1963* - धारा *5, 29(2)* - *1963* के अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता - अपील दायर करने से संबंधित एसआईसीए के उपबंधों का निर्णय *1963* के अधिनियम से नहीं बल्कि एसआईसीए के उपबंधों के सामने किया जाना - अपील दायर करने के लिए एसआईसीए की धारा *25* के तहत निर्धारित लाइम सीमा *1963* अधिनियम की धारा *5* के तहत न्यायालय द्वारा निरपेक्ष और अविस्तारित है - धारा धारा *29(2)* के कारण अपवर्जित - निश्चित संकेत है कि विशेष अवधि से परे विलंब की क्षमा के लिए धारा *5* को लागू नहीं किया जा सकता है।

माना जाता है, कि 1963 अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता, इसलिए, 1963 अधिनियम की शर्तों से नहीं बल्कि अपील दायर करने से संबंधित एसआईसीए के प्रावधानों द्वारा आंका जाना चाहिए। एसआईसीए की धारा 25 की उपधारा (1) और उसके तहत परंतुक को अधिनियमित करने में विधानमंडल का इरादा यह है कि अपील को आदेश जारी करने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उक्त अवधि को पर्याप्त कारण पर आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसे 15 दिनों की एक और अवधि तक दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद नहीं। एसआईसीए की योजना इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि अपील दायर करने के लिए धारा 25 के तहत निर्धारित समय सीमा पूर्ण है और 1963 अधिनियम की धारा 5 के तहत अदालत द्वारा इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह कानून है कि विधायी मंशा का सम्मान करना न्यायालय का कर्तव्य है और उदार व्याख्या देकर 1963 के अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को लागू करके सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता। हमारे विचार में, 1963 के अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि 1963 के अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को 1963 के अधिनियम की धारा 29 (2) के प्रावधानों के कारण बाहर रखा गया है क्योंकि निश्चित संकेत है कि 1963 के अधिनियम की धारा 5 को विशेष अवधि से परे माफ करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 10)

टी >

हरियाणा राज्य यू हिंदुस्तान मशीन टोल 719
लिमिटेड और अन्य (अजय कुमार मित्तल, जे।

***C.* परिसीमा अधिनियम, *1963* - धारा *5, 29(2)* - रुग्ण औद्योगिक कंपनी *(*विशेष उपबंध*)* अधिनियम, *1985* - धारा *25(1)* परंतुक - विलंब की क्षमा - *60* दिनों से अधिक समय तक दायर अपील - विशेष अवधि से अधिक विलंब के लिए क्षमा के लिए *1963* के अधिनियम की धारा *5* को लागू नहीं किया जा सकता है - एसआईसीए की धारा *25 (1)* के तहत विलम्बित आवेदन की सहायता में सेवा में नहीं डाला जा सकता है जिसमें इसके तहत निर्धारित *15* दिनों से अधिक के विलंब के लिए माफी मांगी गई है - अपीलीय प्राधिकारी के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है *1963* अधिनियम की धारा *5* के प्रावधानों को अपील के प्रावधान में उल्लिखित *60* दिनों से परे इसकी प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है**

माना जाता है कि हम इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1963 अधिनियम की धारा 5 को एसआईसीए की धारा 25 (1) के तहत एक विलम्बित आवेदन की सहायता में सेवा में नहीं डाला जा सकता है, जिसमें इसके तहत निर्धारित 15 दिनों से अधिक की देरी की माफी मांगी गई है। तदनुसार, निर्गम संख्या 2005 को जारी किया गया है। (i) का उत्तर नकारात्मक है और यह माना जाता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास एसआईसीए की धारा 25(1) के तहत इसके तहत निर्धारित अवधि से परे अपील दायर करने में हुए विलंब को माफ करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और 1963 के अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को प्रावधान में उल्लिखित 60 दिनों से परे इसकी प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है।

(पैरा 17)

***I),* भारत का संविधान, *1950* - अनुच्छेद *226/22 7* - पत्र पेटेंट, *1919* - खंड *X* - परिसीमा अधिनियम, *1963* - धारा *5* - अभ्यास और प्रक्रिया - उच्च न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए संविधि के अधीन प्राधिकारियों को विधि के अभिव्यक्त उपबंध की उपेक्षा करने या उसके विरुद्ध कार्य करने का निदेश नहीं दे सकता है - विधि द्वारा विहित अधिकतम अवधि से अधिक विलंब को क्षमा करने के लिए असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करना और अपील की सुनवाई के लिए प्रत्यक्ष अपीलीय प्राधिकारी को भी उचित नहीं होगा योग्यता के आधार पर।**

यह माना जाता है कि अकाट्य निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कानून के तहत अधिकारियों को कानून के स्पष्ट प्रावधान की अनदेखी या उसके विपरीत कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकता है। मैं भी समान रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक विलंब को माफ करने और प्रत्यक्ष करने के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं होगा अपीलीय प्राधिकारी गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई करेगा।

तनीषा पेशावरिया, डीएजी, हरियाणा, **अपीलकर्ता के लिए।**
अवनीश झिंगन, प्रतिवादी नंबर 1 के वकील।

(पैरा 25)

अजय कुमार मित्तल, जे.

(1) इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 1102013 के आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रभाव से किए गए संदर्भ के अनुसरण में इस मामले को इस पीठ के समक्ष रखा गया है: -

> "वर्तमान अपील 29.8.2011 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की वैधता का सवाल उठाना चाहती है, जिसमें एएआईएफआर द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को समय से और यहां तक कि विस्तारित अवधि से भी अधिक समय तक रोक दिया गया था और इस प्रकार, यह विवाद के गुणों की जांच नहीं कर सकता था।
>
> हालांकि, अपीलकर्ता के वकील ने 2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7965 में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया है, जिसका शीर्षक हरियाणा **राज्य के औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण और अन्य** है, जिसका निर्णय 25,11.2008 (2009 (22) वीएसटी 2010) को लिया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि एक समान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में जहां मुद्दा बिक्री कर पर ब्याज को माफ करने के अधिकार क्षेत्र का फैसला करने के लिए बीआईएफआर का था, देरी को माफ करने की मांग करके विवाद के गुणों की जांच करना उचित समझा गया।
>
> दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय के साथ-साथ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए कुछ मुद्दों का उल्लेख किया है। मैसर्स **अगरपारा जूट मिल्स लिमिटेड बनाम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और अन्य के रूप में *2012* की रिट याचिका *(सिविल)* संख्या *2728* में इसी अधिनियमन के संदर्भ में** , जिसका निर्णय 8.5.2012 को हुआ था, यह माना गया था कि भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए देरी की कोई माफी नहीं हो सकती **है, *(2001) 8SCC470*।** 2012 के इस निर्णय संख्या 18296 के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका 30.11.2012 को खारिज कर दी गई थी। **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होर्ड** बनाम **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य** के मामले में दिनांक 15-4-2010, 2010(5) एससीसी 23 में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ दिया गया है जहां विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के अंतर्गत विलंब के संदर्भ में यह देखा गया है कि विलंब को माफ नहीं किया जा सकता है और परिसीमा अधिनियम की धारा 5 1963 को लागू नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक प्रावधान को वर्तमान आसानी से प्रश्न में एक के समान बताया गया है।
>
> केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1954 की धारा 35 के संदर्भ में सिंह इंटरप्राइजेज बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जमशेदपुर एंटी (2008) 3 एससीसी 70 **में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों का भी संदर्भ दिया गया** है क्योंकि सीमा के लिए उपबंध करने वाले विशिष्ट प्रावधान को निरस्त कर दिया जाएगा। इस सिद्धांत का मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **आयुक्त उडुमलाईपेट नगर पालिका बनाम राज**

अणिमा और अन्य में ***8.6.2010 (MANU/TN/0615/2010),*** M. उन्नीकृष्णन बनाम श्रम उपायुक्त (अपील), ***8.6.2010 ((2010 IVLU734 Mad)*** **को निर्णय दिया** गया है और थॉमस और अन्य बनाम कोट्टायम नगर पालिका **और अन्य में केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया** है। (3) केर एलजे 482) पर निर्णीत किया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त निर्णयों को या तो इस न्यायालय की खंडपीठ के ध्यान में नहीं लाया गया था या कुछ घोषणाएं बाद में आई हैं। हमें अपीलकर्ता की दलील में कुछ योग्यता मिलती है कि इस मुद्दे पर सुसंगत न्यायिक दृष्टिकोण होना चाहिए और इस प्रकार, हमारा विचार है कि इस मुद्दे को विचार के लिए एक बड़ी बेंच को संदर्भित करना अधिक उपयुक्त होगा।

इस प्रकार यह प्रश्न उठता है कि क्या रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 25 के अंतर्गत क्या एएआईएफआर को 45 दिनों से अधिक की अवधि से अधिक के विलंब को माफ करने की अनुमति होगी और क्या यदि ऐसा नहीं है तो क्या उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि वह विलंब को माफ कर दे और मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए भेज सकता है। ए.ए.आई.एफ.आर.

तदनुसार गठित पूर्ण पीठ के समक्ष कागजात रखे जाएं।

(2) इसमें शामिल मुद्दे पर जाने से पहले, विवाद को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए पहले कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। प्रतिवादी नंबर 1 1.4.2000 को निगमित एक कंपनी है और बैंगलोर, पिंजौर, एर्नाकुलम, हैदराबाद और अजमेर में स्थित पांच कारखाने हैं। कंपनी ने 28.3.2001 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। 22.12.2005 को, प्रतिवादी नंबर 1 ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (अब निरस्त) (एचजीएसटी अधिनियम), हरियाणा मूल्य वर्धित कर 2003 (एचवैट) के तहत खुद को पंजीकृत किया।

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी अधिनियम) के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर बिक्री कर अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम) के अंतर्गत सभी के लिए निर्धारित किया गया है। अपने पंजीकरण के बाद से, यह नियमित रूप से अपना व्यवसाय कर रहा है, हर वित्तीय वर्ष में पर्याप्त सकल कारोबार लौटा रहा है। कंपनी उदारीकरण प्रक्रिया से प्रभावित रही थी और अपने संचालन के पहले वर्ष यानी 2000-01 से बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, "एसआईसीए") की धारा 3 (1) (ओ) की परिभाषा के भीतर एक बीमार औद्योगिक कंपनी बन गई क्योंकि इसकी संचित हानि इसकी निवल संपत्ति से अधिक हो गई थी। दिनांक 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार अपने लेखा परीक्षित तुलन पत्र के आधार पर, कंपनी ने एसआईसीए के तहत फार्म सं 2005/2005/2005-06 के तहत एक संदर्भ दायर किया। (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुननर्माण बोर्ड, नई दिल्ली (बीआईएफआर) के समक्ष दिनांक 2252005 के पत्र सं 10/2005-06 के पत्र सं 10/2005-06 के पत्र सं 10/2005-06 के पत्र सं 10/2005-06 प्रतिवादी संख्या: 4 ने अपने आदेश दिनांक 2.12.2006 के तहत कंपनी को एक रुग्ण इकाई घोषित किया और कंपनी के लिए पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए यूको बैंक को एक

परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। कटऑफ तिथि 31-3-2007 निर्धारित की गई थी। इसके बाद सभी दलों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। हालांकि, अपीलकर्ता राज्य को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। बाद में 17-3-2008 को यूको बैंक की प्रचालन एजेंसी द्वारा एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की गई। बीआईएफआर ने कंपनी के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास योजना का प्रारूप तैयार किया और प्रभावित पक्षों द्वारा दिनांक 12-6-2008 के आदेश को सुनने के बाद बीआईएफआर के आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए। 17.7.2009 को, अपीलकर्ता विभाग द्वारा दिनांक 12.6.2008 के आदेश को लागू करने में असमर्थता व्यक्त करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार एसआईसीए के तहत गठित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का निर्णय लिया गया, उक्त अपील को एसआईसीए की धारा 25 के तहत प्राथमिकता दी गई थी, साथ ही सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन के साथ शपथ पत्र भी दिया गया था। अपील दायर करने में 354 दिनों की देरी की माफी के लिए 1963 (संक्षेप में, "1963 अधिनियम")। प्रतिवादी संख्या 3 ने विलंब के लिए क्षमा हेतु आवेदन के साथ अपील पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 28.4.2010 के आदेश द्वारा समय से घृणा किए जाने के कारण अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने सिविल रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी, जिसे एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29.8.2011 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय **अनिल मेहरा** बनाम **ईस्ट इंडिया वीविंग लिमिटेड** ***(1)*** के निर्णय पर भरोसा करते हुए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया था। आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने **औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण के मामले *(सुप्रा)* के लिए अपीलीय प्राधिकरण** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया , जिसमें इसी मुद्दे में, देरी को माफ कर दिया गया था। दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने संदर्भ आदेश में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय, मद्रास, दिल्ली और केरल उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें विपरीत दृष्टिकोण था। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने दिनांक 1.10.2013 के आदेश के तहत राय दी कि इस मुद्दे पर लगातार न्यायिक दृष्टिकोण रखने के लिए, इसे विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजा जाए। इसलिए मामला इस पूर्ण पीठ के समक्ष है।

(3) यह प्राचीन कानूनी प्रश्न जिसे इस पतवार बेंच को संदर्भित किया गया है, इस प्रकार है: -

> क्या रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत, एएआईएफआर के लिए 45 दिनों से अधिक की अवधि से अधिक की अवधि में देरी को माफ करने की अनुमति होगी और क्या ऐसा नहीं है, क्या उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है ताकि देरी को माफ किया जा सके और मामले को एएआईएफआर द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए भेजा जा सके।

(4) इस संदर्भ में जिन मुख्य मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, उन्हें विभाजित करते हुए, इसे निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: -

(1) क्या एसआईसीए की धारा 25 के तहत, एएआईएफआर को अपील दायर करने में देरी को 60 दिनों की अवधि से परे माफ किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, 1963 अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान लागू होंगे या नहीं?

(2) यदि उपरोक्त का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत देरी करने वालों को माफ करने का अधिकार है?

(5) पहले मुद्दे की जांच करते हुए, 1963 अधिनियम की धारा 5 और 29 (2) विवाद का फैसला करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होगी जो निम्नानुसार प्रदान करती है: -

"5. **कुछ मामलों में** निर्धारित अवधि का विस्तार। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी आवेदन के अलावा किसी भी अपील या किसी भी आवेदन को निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपील को प्राथमिकता नहीं देने या ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था।

ख़ुलासा। - तथ्य यह है कि अपीलकर्ता या आवेदक को निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, अभ्यास या निर्णय से गुमराह किया गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है।

(29) बचत। (1) इस अधिनियम की कोई बात भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 25 को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित अवधि से भिन्न परिसीमा की अवधि विहित करती है वहां धारा 3 के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा विहित अवधि हो और किसी वाद के लिए विहित परिसीमा की किसी अवधि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा अपील या आवेदन, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल तब तक लागू होंगे, जहां तक और जिस हद तक, उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है।

(6) 1963 अधिनियम की धारा 5 न्यायालय को देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अपील या आवेदन स्वीकार करने में सक्षम बनाती है। यह पार्टी के डिफ़ॉल्ट को माफ करने के लिए है जहां भी यह संतुष्ट करने में सक्षम है कि पर्याप्त कारण मौजूद है। इस प्रकार, इस प्रावधान के तहत देरी को माफ करने या विवेक का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त कारण अनिवार्य है। विवेकाधिकार, हालांकि, न्यायिक होना चाहिए और मनमाना नहीं है। 1963 के अधिनियम में विधायिका द्वारा "पर्याप्त कारण" को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत तथ्यों पर पता लगाया जाना है।

(7) 1963 के अधिनियम की धारा 29(2), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि से भिन्न सीमा की अवधि निर्धारित करती है, वहां धारा 3 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह अनुसूची द्वारा विहित अवधि हो और किसी वाद के लिए विहित सीमा की किसी अवधि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा अपील या आवेदन, धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान केवल तब तक लागू होंगे जब तक, और उस सीमा तक, उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है। जब कोई विशेष संविधि दर्शाई गई परिसीमा की निश्चित अवधि निर्धारित करती है तो विशेष अधिनियम के अधीन विहित परिसीमा की अवधि

कानून अभिभावी होगा और उस सीमा तक 1963 के अधिनियम के उपबंधों को इससे बाहर रखा जाएगा। उनमें से कोई भी बाहर नहीं है, तो उस स्थिति में वे सभी लागू होंगे। हमारी राय में, 1963 के अधिनियम की धारा 29 (2) में उल्लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं है कि विशेष क़ानून को स्पष्ट रूप से विशिष्ट प्रावधान के बहिष्करण के लिए प्रदान करना चाहिए, लेकिन यह क़ानून में उल्लिखित भाषा के सार से इकट्ठा किया जाना चाहिए कि क्या उसका प्रभाव बहिष्करण के

अलावा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी *(2)* मामले में** हुकुमदेव नारायण यादव **बनाम** ललित नारायण मिश्रा *(3)* **मामले में *1963* के एक्ट की धारा *29(2)* का विश्लेषण** करते हुए कहा था कि

> "भाषा के अलावा, 'एक्सप्रेस बहिष्कार' विशेष या स्थानीय कानून की योजना और उद्देश्य से अनुसरण कर सकता है। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां विशेष कानून एक स्पष्ट संदर्भ द्वारा सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को बाहर नहीं करता है, फिर भी यह न्यायालय के लिए खुला होगा कि क्या और किस हद तक उन प्रावधानों की प्रकृति या विषय-वस्तु की प्रकृति और विशेष कानून की योजना ने उनके संचालन को बाहर रखा है।

(5) एसआईसीए एक विशेष कानून है। एसआईसीए की धारा 25 (1) के तहत, अपील का उपाय निम्नानुसार प्रदान किया गया है: -

> (6) . (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको आदेश की प्रति उसे जारी की जाती है, पैंतालीस दिन के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा: परन्तु अपीलीय प्राधिकारी उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के पश्चात् किंतु पूर्वोक्त तारीख से साठ दिन के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को पर्याप्त द्वारा रोका गया था समय पर अपील दायर करने का कारण।

(9) एसआईसीए की धारा 25 बीआई पीआर के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने से संबंधित है। एसआईसीए की धारा 25(1) को पढ़ने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि बीआईएफआर के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति उसे आदेश की प्रति जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने का हकदार है। हालांकि, इसके परंतुक के तहत, अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार कर सकता है

पैंतालीस दिनों की उक्त अवधि के बाद, लेकिन पूर्वोक्त तारीख से साठ दिनों के बाद नहीं, जहां अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने के लिए पर्याप्त कारण से रोका गया था। दूसरे शब्दों में, सीमा की अवधि को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसके बाद नहीं।

(10) हम एसआईसीए के तहत विशेष कानून की योजना की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, निहित विभिन्न प्रावधानों का संयुक्त पठन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधायिका का इरादा यह था कि यह अपने आप में एक पूर्ण कोड हो जो अकेले ही इसके द्वारा प्रदान किए गए कई मामलों को नियंत्रित करे। अपने आप में एक पूर्ण संहिता होने के नाते, उसमें प्रदान किए गए उपाय की प्रकृति उक्त अधिनियम द्वारा शासित होगी। यदि, संबंधित धाराओं की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि 1963 अधिनियम के प्रावधानों को आवश्यक रूप से बाहर रखा गया है, तो उसमें प्रदत्त लाभों को अधिनियम के प्रावधानों के पूरक के लिए सहायता में नहीं कहा जा सकता है, जहां विशेष कानून एक स्पष्ट संदर्भ द्वारा 1963 अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को बाहर नहीं

करता है, फिर भी यह अदालत के लिए खुला होगा कि क्या और किस हद तक, उन प्रावधानों की प्रकृति या विषय-वस्तु की प्रकृति और विशेष कानून की योजना उनके संचालन को बाहर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो 1963 के अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता का निर्णय 1963 के अधिनियम की शर्तों से नहीं बल्कि अपील दायर करने से संबंधित एसआईसीए के प्रावधानों द्वारा किया जाना चाहिए। एसआईसीए की धारा 25 की उपधारा (1) और उसके अधीन परंतुक को अधिनियमित करने में विधानमंडल का आशय यह है कि उसे आदेश जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील की जानी चाहिए और उक्त अवधि को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। एसआईसीए की योजना इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि अपील दायर करने के लिए धारा 25 के तहत निर्धारित समय सीमा 1963 अधिनियम की धारा 5 के तहत अदालत द्वारा पूर्ण और अस्वीकार्य है। यह कानून है कि विधायी मंशा का सम्मान करना न्यायालय का कर्तव्य है और उदार व्याख्या देकर 1963 के अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को लागू करके सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता। हमारे विचार में, 1963 अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि 1963 अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को 1963 अधिनियम की धारा 29 (2) के प्रावधानों के कारण बाहर रखा गया है क्योंकि निश्चित संकेत है कि विशेष अवधि से परे देरी की माफी के लिए 1963 अधिनियम की धारा 5 को लागू नहीं किया जा सकता है।

(11) मंच अब मिसाल के विज्ञापन के लिए तैयार है और, इसकी कोई कमी नहीं है। पॉपुलर **कंस्ट्रक्शन कंपनी** मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के तहत आवेदन दायर करने में देरी की माफी के लिए 1963 अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता के संबंध में मुद्दे पर फैसला कर रहा था। **विद्याचरण शुक्ल बनाम खुहचंद बघेल *(4)*, हुकुमदेव नारायण यादव के** मामले (सुप्रा), **मंगू पाम** बनाम एमसीआई (5), पटेल नारनभाई मार्गभाई **बनाम** धूलाभाई गल्हाभाई (6) **में अपने पहले के फैसले का उल्लेख करने के बाद, यह आयोजित किया गया था*:***

> "जहां तक 1996 के अधिनियम की धारा 34 की भाषा का संबंध है, उपधारा (3) के परंतुक में महत्वपूर्ण शब्द 'लेकिन उसके बाद नहीं' का उपयोग किया जाता है। हमारी राय में, यह वाक्यांश सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के अर्थ के भीतर एक स्पष्ट बहिष्करण होगा और इसलिए अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को रोक देगा। यह मानने के लिए कि अदालत परंतुक के तहत विस्तारित अवधि से परे पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकती है, वाक्यांश 'लेकिन उसके बाद नहीं' को पूरी तरह से प्रस्तुत करेगा. व्याख्या का कोई भी सिद्धांत इस तरह के परिणाम को सही नहीं ठहराएगा। और भी, धारा 34(1) स्वयं यह प्रदान करता है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ एक अदालत का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार इस तरह के पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है। उप-धारा (2) एक पुरस्कार को अलग करने के आधार से संबंधित है और हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है. लेकिन धारा 34, उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि के बाद दायर किया गया आवेदन उस उपधारा के अनुसार आवेदन नहीं होगा। (इसके फलस्वरूप, धारा के आधार पर 34(1), एक मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ अदालत का सहारा निर्धारित अवधि से परे नहीं किया जा सकता है. धारा 34 के तहत निर्धारित अवधि के महत्व पर धारा 36 के प्रावधानों द्वारा जोर दिया गया है जो प्रदान करते हैं कि:
>
> '36. प्रवर्तन। - - जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है ... पुरस्कार सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लागू किया जाएगा, 1908 (5 का 1908) उसी तरह के रूप में अगर यह अदालत की एक डिक्री थे। ' यह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। 1940 के अधिनियम के तहत, पुरस्कार को अलग करने के समय के बाद
>
> समाप्त हो गया, अदालत को 'पुरस्कार के अनुसार निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़ना, और निर्णय पर एक डिक्री का पालन करना होगा' (धारा 17)। अब धारा के तहत समाप्त होने वाले समय का परिणाम 34 1996 अधिनियम यह है कि पुरस्कार अदालत के किसी भी आगे के कार्य के बिना तुरंत लागू करने योग्य हो जाता है. यदि धारा 34 में प्रयुक्त भाषा की व्याख्या पर कोई अवशिष्ट संदेह था, तो 1996 अधिनियम की योजना परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के संचालन के बहिष्कार द्वारा न्यायालय की शक्तियों को कम करने के पक्ष में इस मुद्दे को हल करेगी "

(4) एआईआर 1964 एससी 1099
(5) (1976) 1 एससीसी 392
(6) (1992) 4 एससीसी 264

इसी तरह का विचार सीमा शुल्क आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क **बनाम** पंजाब फाइबर्स लिमिटेड (7) **में दोहराया गया था।**

(12) समेकित इंजीनियरिंग उद्यम **बनाम** प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य (8) **में,** तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1 1996 की धारा 34 (3) पर फिर से विचार करते हुए प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया:

> "..... जब कोई विशेष संविधि परिसीमा की निश्चित अवधि के साथ-साथ विनिर्दिष्ट समय सीमा तक विस्तार के लिए उपबंध विहित करती है, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर तो विशेष विधि के अधीन विहित परिसीमा की अवधि अभिभावी होगी और उस सीमा तक परिसीमा अधिनियम के उपबंध अपवजत होंगे। जैसा कि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) को लागू करने में विधायिका का इरादा यह है कि पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए और अवधि को 3 () दिनों की एक और अवधि द्वारा दिखाए जाने वाले पर्याप्त कारण पर आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं, इस न्यायालय की राय है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के समर्थक दृष्टिकोण के कारण धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है।

(13) सिंह एंटरप्राइजेज **बनाम** सीसीई (9) **मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, *1944* की धारा *35* के तहत समान प्रावधानों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय** ने माना था कि निम्नलिखित शब्दों में 1963 अधिनियम की धारा 5 को पूरी तरह से बाहर रखा गया था: -

> (14) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) और अधिकरण के संविधि के प्राणी होने के कारण उन्हें माफ करने का क्षेत्राधिकार नहीं है

(7) (2008) 3 एससीसी 73
(8) (2008) 7 एससीसी 169
(9) (2008) 3 एससीसी 70

संविधि के अंतर्गत उपबंधित अनुमेय अवधि से अधिक विलंब। वह अवधि जब तक प्रार्थना या क्षमा स्वीकार की जा सकती है, वैधानिक रूप से प्रदान की जाती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि परिसीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'परिसीमा अधिनियम 1) की धारा 5 के तर्क का लाभ देरी के लिए क्षमा के लिए लिया जा सकता है। धारा 35 का पहला परंतुक स्थिति को स्पष्ट करता है कि अपील को निर्णय या आदेश के बारे में उसे सूचित करने की तारीख से तीन महीने के भीतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, यदि आयुक्त संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को 60 दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील पेश करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था, तो वह इसे 30 दिनों की आगे की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपील 60 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए, लेकिन परंतुक के संदर्भ में अपील पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों का समय दिया जा सकता है। धारा 35 की उपधारा (1) का परंतुक स्थिति को स्पष्ट करता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास 30 दिनों की अवधि से परे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है। इस्तेमाल की गई भाषा स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका ने अपीलीय प्राधिकरण को 60 दिनों की समाप्ति के बाद केवल 30 दिनों तक देरी को माफ करके अपील पर विचार करने का इरादा किया था, जो अपील को प्राथमिकता देने के लिए सामान्य अवधि है। इसलिए, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसलिए आयुक्त और उच्च न्यायालय का यह मानना न्यायोचित था कि 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी।

(14) **सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त** बनाम **हांग इंडिया *(ई)* लिमिटेड, *(10)* में,** सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य तीन-न्यायाधीश पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या 1963 अधिनियम की धारा 5 को अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए लागू किया जा सकता है या उच्च न्यायालय को संदर्भ दिया जा सकता है, लोकप्रिय निर्माण कंपनी में अपने निर्णयों के मद्देनजर। और **सिंह एंटरप्राइज़ के मामले *(सुप्रा)*** निम्नानुसार दर्ज किए गए -

"जैसा कि पहले बताया गया है, धारा 35,35- बी, 35- ईई, 35-जी और 35-एच में इस्तेमाल की गई भाषा स्थिति को स्पष्ट करती है कि उच्च न्यायालय में अपील और संदर्भ केवल 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए निर्णय या आदेश की सूचना की तारीख। दूसरे शब्दों में, अन्य प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका ने अपीलीय प्राधिकरण को (10) (2009) 5 एससीसी 891 की समाप्ति के बाद केवल 30 दिनों तक की देरी को माफ करके अपील पर विचार करने का इरादा किया था

60 दिन जो अपील करने के लिए प्रारंभिक सीमा अवधि है। निर्धारित अवधि के बाद पर्याप्त कारण बताकर विलंब को माफ करने वाले किसी खंड के अभाव में, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसलिए उच्च न्यायालय का यह कहना न्यायोचित था कि 180 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है।

(15) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होर्ड **बनाम** केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (11) **में,** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 की व्याख्या करते हुए दो न्यायाधीशों की पीठ ने एसआईसीए की धारा 25 (1) के समान देखा था: -

> "धारा 125 कहती है कि ट्रिब्यूनल के किसी भी निर्णय या आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ट्रिब्यूनल के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस अदालत में अपील दायर कर सकता है। धारा 125 का परंतुक इस न्यायालय को 60 दिनों की एक और अवधि के भीतर दायर अपील पर विचार करने का अधिकार देता है, यदि यह संतुष्ट है कि 60 दिनों की प्रारंभिक अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था। इससे पता चलता है कि धारा 111(2) और 125 के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि वाद आदि दायर करने के लिए परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि से काफी भिन्न है। धारा 125 के परंतुक में अभिव्यक्ति "60 दिनों से अधिक नहीं की एक और अवधि के भीतर" का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि अपील दायर करने की बाहरी सीमा 120 दिन है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत यह न्यायालय 120 दिनों से अधिक समय के बाद ट्रिब्यूनल के निर्णय या आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर सके।
>
> किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत से निपटने के लिए एक विशेष न्यायनिर्णयन मंच अर्थात ट्रिब्यूनल की स्थापना का उद्देश्य, जो किसी न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित हो सकता है या एक उपयुक्त आयोग द्वारा, इस न्यायालय में आगे अपील करने के प्रावधान के साथ और धारा 111 और 125 के तहत अपील दायर करने के लिए विशेष सीमा का निर्धारण यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत के विभिन्न प्रावधानों के संचालन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विवाद अधिनियम एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा शीघ्रता से तय किया जाता है और कोई भी न्यायालय, इस न्यायालय को छोड़कर, ट्रिब्यूनल के निर्णय या आदेश को चुनौती देने पर विचार नहीं कर सकता है। एक निर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के तहत सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र (धारा 145) का बहिष्करण भी उस दिशा में एक संकेतक है।

(11) (2010)5 एससीसी23

22) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्युत अधिनियम परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थ के भीतर एक विशेष विधान है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा की अवधि निर्धारित करता है, धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और धारा 15 4 से 24 (समावेशी) किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की किसी भी अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से लागू होगा जब तक कि उन्हें विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया जाता है।

न्यायालय ने तब कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया और कहा: "उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम मानते हैं कि इस न्यायालय द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 125 और इसके प्रावधान में निर्दिष्ट 120 दिनों की अवधि से परे ट्रिब्यूनल के निर्णय या आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू नहीं किया जा सकता है। विद्युत अधिनियम की धारा 125 की कोई भी व्याख्या, जो परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के साथ पठित परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को आकर्षित कर सकती है, विधान के उद्देश्य को पराजित करेगी, अर्थात् अधिकरण के निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए विशेष सीमा का उपबंध करना और धारा 125 का परंतुक निरर्थक हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 29.11.2011 को तय की गई 2011 की सिविल अपील संख्या 10301 में **केतन बनाम पारेख** में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 35 के प्रावधानों के संबंध में समान विचार व्यक्त किया है।

16)) मैसर्स अगरपारा जूट मिल्स लिमिटेड बनाम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और अन्य, ***2012* की डब्ल्यूपी *(सी)* संख्या *2728*, एसआईसीए की धारा *25* के संबंध में *8.5.2012* को निर्णय दिया गया था,** में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार फैसला दिया था: -

17) हम सांविधिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए एएआईएफआर द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। हम उक्त प्रावधान का उल्लेख कर सकते हैं जो निम्नानुसार है:

18) मोहक गुण। (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको आदेश की प्रति उसे जारी की जाती है, पैंतालीस दिन के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी पैंतालीस दिनों की उक्त अवधि के बाद किसी भी अपील को ग्रहण कर सकता है, लेकिन पूर्वोक्त तारीख से साठ दिनों के बाद नहीं, यह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

5. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन क़ानून स्वयं अपील के लिए समय अवधि प्रदान करता है और उस समय अवधि के विस्तार के लिए प्रावधान करता है बशर्ते पर्याप्त कारण

दिखाया गया हो। इस प्रकार, अपील दायर करने में सीमा के मुद्दे पर एक विशेष प्रावधान शामिल किया गया है। एसआईसीए की धारा 25 की हाओ भाषा यह स्पष्ट करती है कि कोई गुंजाइश नहीं है (या 60 दिनों की अवधि से अधिक की देरी की निंदा नहीं है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "लेकिन साठ दिनों के बाद नहीं" संदेह का कोई तरीका नहीं छोड़ता है कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की एसआईसीए की धारा 25 के तहत कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। इस संबंध में हम यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी (2001) 8 SCC 470 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को लाभ के साथ उद्धृत करते हैं:

6. 10. निर्णय यह विशेष या स्थानीय कानून के लिए आवश्यक नहीं है, संदर्भ में, सीमा अधिनियम के प्रावधानों को बाहर करने के लिए यह पर्याप्त है अगर सीमा से संबंधित अपने प्रावधानों की भाषा पर विचार करने पर, बाहर करने का इरादा आवश्यक रूप से निहित किया जा सकता है. जैसा कि हुकुम नारायण वाईअदव बनाम में कहा गया है।ललित नारायण मिश्र:

"यदि प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों को आवश्यक रूप से बाहर रखा गया है, तो उसमें प्रदत्त लाभों को अधिनियम के प्रावधानों के पूरक के रूप में सहायता नहीं कहा जा सकता है"।

11.. 'इस प्रकार, जहां विधायिका ने अपील के उद्देश्य के लिए एक विशेष सीमा निर्धारित की और 60 दिनों की सीमा की अवधि की गणना परिसीमा अधिनियम की धारा 4, 5 और 12 की सहायता से की जानी थी, इन धाराओं के विशिष्ट समावेश का मतलब था कि उस हद तक केवल सीमा अधिनियम के प्रावधान विस्तारित थे और अन्य प्रावधानों की प्रयोज्यता, आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा गया था।

12. जहां तक 1996 के अधिनियम की धारा 34 की भाषा का संबंध है, उपधारा (3) के परंतुक में महत्वपूर्ण शब्द 'लेकिन उसके बाद नहीं' का उपयोग किया गया है। या राय में, यह वाक्यांश सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के अर्थ के भीतर एक स्पष्ट बहिष्करण के बराबर होगा और इसलिए उस अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को रोक देगा। यह मानने के लिए कि न्यायालय परंतुक के तहत विस्तारित अवधि से परे पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है, वाक्यांश 'लेकिन उसके बाद नहीं' को पूरी तरह से प्रस्तुत करेगा. व्याख्या का कोई भी सिद्धांत इस तरह के परिणाम को सही नहीं ठहराएगा।

13. भाषा के अलावा, 'एक्सप्रेस बहिष्करण विशेष या स्थानीय कानून की योजना और उद्देश्य से पालन कर सकता है। जहां विशेष कानून एक स्पष्ट संदर्भ द्वारा सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को बाहर नहीं करता है, फिर भी यह न्यायालय के लिए खुला होगा कि क्या और क्या उन प्रावधानों की प्रकृति या विषय-वस्तु की प्रकृति और विशेष कानून की योजना उनके संचालन को बाहर करती है।

उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका दिनांक 30112012 को खारिज कर दी गई।

(17) उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैं कि 1963 अधिनियम की धारा 5 को एसआईसीए की धारा 25 (1) के तहत एक विलम्बित आवेदन की सहायता में सेवा में नहीं डाला जा सकता है, जिसमें इसके तहत निर्धारित 15 दिनों से अधिक की देरी की माफी मांगी गई है। तदनुसार, निर्गम संख्या 2005 को जारी किया गया है। (1) का उत्तर नकारात्मक है और यह माना जाता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास एसआईसीए की धारा 25(1) के तहत इसके तहत निर्धारित अवधि से परे अपील दायर करने में देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और 1963 अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को प्रावधान में उल्लिखित 60 दिनों से परे इसकी प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है।

(1 8) पहले मुद्दे के नकारात्मक उत्तर के उत्तर के कारण, अनिवार्य रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार किया जाना आवश्यक है।

(१ ९) आर्टिक लेस २२६/२२७ के तहत प्रदत्त शक्ति को कानून को प्रभावित करने के लिए नामित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून का शासन लागू किया गया है और वैधानिक प्राधिकरण और राज्य के अन्य अंग कानून के अनुसार कार्य करते हैं। इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए जिसके तहत अधिकारियों को कानून के विपरीत कार्य करने का निर्देश दिया जाए।

जहां कहीं भी किसी संविधि द्वारा क्षम्य अवधि की सीमा विहित की जाती है, वहां संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत भी यह उचित नहीं होगा कि वह संविधि के अभिव्यक्त उपबंध का उल्लंघन करने वाली रिट याचिका पर विचार करे और विधायिका के अधिदेश के विरुद्ध कार्य करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत असाधारण रिट क्षेत्राधिकार की देरी को माफ करने के लिए सीमा निर्धारित करना या ऐसा नहीं करना विधायिका का काम है, जो वैधानिक

प्रावधान के साथ हिंसा करने और उसे एक ही आदेश देने के समान होगा। दूसरे शब्दों में, विधायी आशय स्पष्ट है कि संसद का इरादा कभी नहीं था कि अपील दायर करने में निर्दिष्ट अवधि से अधिक देरी को माफ किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की आड़ में कानून को फिर से लिखना उच्च न्यायालय के लिए नहीं है। ऊपर हमारे द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है, वह विभिन्न न्यायिक उदाहरणों द्वारा समर्थित है।

(20) मैसर्स निको टाइल्स लिमिटेड **बनाम** गुजरात सिरेमिक फ्लोर टाइल्स एमएफजी एसोसिएशन और अन्य (12) **में सुप्रीम कोर्ट ने** निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला: -

> "यदि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र में रिट याचिका पर विचार करने के लिए अपने न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए एक वैध आधार के रूप में स्वीकार किया जाना था, तो एंटी-डंपिंग मुद्दों के संबंध में नामित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील के प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दिया जाएगा और नामित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष से पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 (सी) के स्पष्ट प्रावधान के बावजूद, दण्डमुक्ति के साथ रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करें।

(21) केरल उच्च न्यायालय ने **थॉमस और अन्य** बनाम **कोट्टायम नगर पालिका और अन्य *(13)* में इसी** मुद्दे पर विचार करते हुए निम्नानुसार राय दी थी: -

> "8. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त वी. कृष्णा पोडुवल (2005 (4) केएलटी 947) में निर्णय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उत्पन्न हो रहा था। क़ानून ने सीमा की अवधि निर्धारित की और देरी को माफ करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया। इस आसानी के रूप में, एक अपील देर से टाइल की गई थी और देरी के बाद से (12) 2005 (12) एससीसी 454 (13) 2008 (3) केर एलजे 482

माफी की मांग अनुमेय अवधि से अधिक थी, विलंब को माफ करने से इनकार कर दिया गया था और परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई थी। इस आदेश को इस अदालत और डब्ल्यूपी (सी) के समक्ष चुनौती दी गई थी। सं 244656/2008 7 इस न्यायालय ने योग्यता के आधार पर रिट याचिका पर विचार किया और विभागीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच की और याचिकाकर्ता को राहत दी।

9. विभाग द्वारा दायर विद्वान एकल न्यायाधीश अपील के फैसले के खिलाफ और फैसले के पैरा 7 और 8 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है।

10. शुरुआत में हम यह कह सकते हैं कि जहां तक उत्तरदाताओं ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 85 (3) के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में जुर्माना लगाने वाले मूल आदेशों को नहीं लिया है, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के समक्ष विवेकाधीन उपाय का सहारा लेकर अपीलों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं और गुण-दोष के आधार पर उनकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। एक बार जब सीमा की अवधि अपने आप समाप्त हो जाती है और अपीलीय प्राधिकारी के पास अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक अपील दायर करने में देरी को माफ करने की शक्ति नहीं होती है, तो अपीलकर्ताओं के उपचार समाप्त हो जाते हैं जैसे कि एक समय वर्जित मुकदमे के मामले में और प्रतिवादी नहीं कर सकते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत विवेकाधीन उपाय को लागू करके, कार्रवाई के उनके अप्रवर्तनीय कारण को पुनर्जीवित करें और इस की आवश्यकता है। सं 244656/2008 8 न्यायालय योग्यता के आधार पर मूल आदेशों के विरुद्ध उनकी दलीलों पर विचार करने के लिए। यह परिसीमा के उस कानून को ही पराजित करने के समान होगा जिसकी हमें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यदि हम गुण-दोष के आधार पर उत्तरदाताओं के तर्कों पर विचार करना चाहते हैं, तो यह परिसीमा के कानून को नकारने जैसा होगा जिसे अनुच्छेद 226 के तहत करने का हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और जिसके कोई असंगत परिणाम भी नहीं हो सकते हैं। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि कार्रवाई के एक कारण को पुनर्जीवित किया जा सकता है जो परिसीमा के कानून के कारण अप्रवर्तनीय हो गया है। इसके अलावा, हम इस दृढ़ राय के हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को व्यक्त वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है, हालांकि प्रावधानों का कठोर प्रभाव वादी पर हो सकता है।

8. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष माहेश्वरी वर्क इंडस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया है, जिसकी रिपोर्ट 12 एसटीसी 272 में दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि "हालांकि", जहां तक अपीलीय प्राधिकरण तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के तहत संबंधित है, इसका अधिकार क्षेत्र और देरी को माफ करने की शक्ति 30 दिनों की अवधि तक सीमित है,

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उस सीमा को उच्च न्यायालय पर लागू नहीं किया जा सकता है। बड़े सम्मान के साथ, हम खुद को उक्त निर्णय से सहमत होने के लिए राजी करने में असमर्थ हैं जो डब्ल्यूपी (सी) नहीं करता है। सं 244656/2008 9 में भी ऐसा करने के लिए कोई तर्क है। हमारे अनुसार, प्रतिवादियों के सभी उपाय समाप्त हो गए हैं जब उनकी अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा सीमा के आधार पर खारिज कर दी गई थी, आगे अपीलीय प्राधिकारी या इस अदालत के पास सीमा की अवहेलना करते हुए या देरी को माफ करने के लिए योग्यता के आधार पर दावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। किसी भी घटना में, अपीलकर्ताओं ने हस्तक्षेप के लिए किसी भी असाधारण परिस्थितियों की वकालत नहीं की है, भले ही हमारे पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र था।

10. खण्ड न्यायपीठ के इस निर्णय का कृष्णन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में खण्ड न्यायपीठ द्वारा अनुसरण किया गया है। (1 एलआर 2007 (1) केरल 233)। जिसमें पैरा 7, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है।

"अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि सरकार ने देरी के आधार पर अपील को खारिज कर दिया है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह अदालत न्याय के हित में रिट याचिका पर विचार कर सकती है। हम पहले ही हाबिल की सहजता में कह चुके हैं कि कोई पक्ष वैधानिक उपाय को दरकिनार करने के लिए अनुच्छेद 226 के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकता है, खासकर जब वैधानिक प्राधिकरण को देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं दी जाती है। इस कानूनी स्थिति को डब्ल्यूपी (सी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। 244656/2008 10 इस न्यायालय ने केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त बनाम कृष्णा पोडुवल में जहां इस न्यायालय ने कहा कि एक बार सीमा की अवधि समाप्त हो गई है और अपीलीय प्राधिकारी दस्तावेजों के पास देरी को माफ करने की शक्ति नहीं है

अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि से परे अपीलों को टाइल करने में, उपचार एक समय वर्जित मुकदमे की आसानी की तरह समाप्त हो जाते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपाय को लागू करके, कार्रवाई के अप्रवर्तनीय कारण को पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं।

(22) **आयुक्त उडुमलाईपेट नगर पालिका** बनाम **राजम्मल और अन्य,** 2001 की सीडब्ल्यूपी संख्या 14533 में 8.6.2010 को निर्णय दिया गया था, मद्रास उच्च न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया था: -

"23. कानूनी स्थिति इस प्रकार है:

(1) तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 30 (1) के तहत अपील अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। अपीलीय सहायक आयुक्त को 30 दिनों की आगे की अवधि के लिए देरी को माफ करने का अधिकार है यदि पर्याप्त कारण या समय पर अपील प्रस्तुत नहीं करना अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिखाया और संतुष्ट किया जाता है।

(2) किसी भी परिस्थिति में, अपीलीय प्राधिकारी के पास 30 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की शक्ति नहीं है।

(3) जबकि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की शुद्धता को मंजूरी देता है, उसके पास अपीलीय प्राधिकारी को योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है अन्यथा यह सीमा की अवधि बढ़ाने वाले न्यायालय के अलावा और कुछ नहीं होगा।

(4) यहां तक कि अगर उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने के लिए मूल्यांकन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करता है, तो भी वह अपीलीय प्राधिकारी को गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने का निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों को फिर से नहीं लिख सकता है।

इसी तरह का विचार उसी दिन **एम. उन्नीकृष्णन बनाम श्रम उपायुक्त *(अपील) (*सुप्रा**) में दिए गए एक अन्य निर्णय में व्यक्त किया गया था।

(23) 'भारत संघ और अन्य **बनाम** किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड (14) **में सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से भी समर्थन लिया गया है: -**

"फिर भी सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय के लिए अधिनियम के तहत अधिकारियों को पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधान के विपरीत कार्य करने का निर्देश देना स्वीकार्य है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्य करते समय भी हमें ऐसा नहीं लगता है। अनुच्छेद 226/227 द्वारा प्रदत्त शक्ति कानून को प्रभावी बनाने, कानून के शासन को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि राज्य के कई प्राधिकरण और अंग कानून के अनुसार कार्य करते हैं। अधिकारियों को कानून के विपरीत कार्य करने का निर्देश देने के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

(24) राज केमिकल्स **बनाम** भारत संघ (15) **में बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच** ने निम्नानुसार व्यक्त किया है: -

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 एक विशेष अधिनियम है जो भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की लेवी, वसूली और वसूली को नियंत्रित करता है। धारा 35 की उपधारा (1) में, विधानमंडल ने यह अनिवार्य किया है कि अपील आयुक्त के समक्ष अपील आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। परंतुक के तहत, आयुक्त (अपील) को उनकी संतुष्टि के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर दायर अपील लोब की अनुमति देने की अनुमति दी जाती है। दूसरे शब्दों में, संसद का स्पष्ट आशय यह था कि विलंब को माफ करने की शक्ति का प्रयोग केवल पर्याप्त कारण दिखाए जाने के अध्यधीन और अपील दायर करने के लिए निर्धारित साठ दिनों की अवधि से परे तीस दिनों की बाहरी सीमा के अधीन ही किया जा सकता है। अब यह सुस्थापित है कि क्या परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) के अर्थ के भीतर विशेष कानून में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 से 24 के उपबंधों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, अधिनियम की समग्र योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहां अधिनियम की योजना इंगित करती है कि विधायिका का इरादा था कि एक अपीलीय प्राधिकारी को एक निश्चित अवधि तक देरी को माफ करके अपील पर विचार करना चाहिए, जो कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधानों को बाहर करने का इरादा रखेगा। वर्तमान में

(14) 1996(4) एससीसी 453
(15) 2013(287) ईएलटी 145

मामले में, स्पष्ट उपबंध यह है कि साठ दिनों के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए और उससे अधिक तीस दिनों तक के विलंब को माफ किया जा सकता है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का सहारा लेकर तीस दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है, जिसे धारा 29(2) के अर्थ में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उस क़ानून के परंतुक के क़ानून द्वारा बनाए गए अधिकारियों द्वारा एक अंश में अनुमति या निर्देश नहीं दे सकता है जिसके तहत वे गठित किए गए हैं। जब अपील दायर करने के लिए परिसीमा

की अवधि निर्धारित की जाती है और विलंब को माफ करने की शक्ति की सीमा भी संविधि द्वारा निर्धारित की जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग स्पष्ट रूप से न्यायिक या अपीलीय प्राधिकारी को सीमा के प्रावधान का उल्लंघन करने का निर्देश देने के लिए आवश्यक नहीं होगा।

शीतल एंटरप्राइजेज **बनाम** यूनियन ऑफ इंडिया (16) **मामले में बॉम्बे** हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का रुख अपनाया था।

(25) उपरोक्त के मद्देनजर, अकाट्य निष्कर्ष यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय कानून के तहत अधिकारियों को कानून के स्पष्ट प्रावधान की अनदेखी या उसके विपरीत कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकता है। समान रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं होगा कि वह कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक देरी को माफ करे और अपीलीय प्राधिकारी को गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई करने का निर्देश दे। इस प्रकार, 1963 अधिनियम की धारा 5 को एसआईसीए की धारा 25 (1) के तहत एक विलम्बित आवेदन की सहायता में सेवा में नहीं डाला जा सकता है, जिसमें इसके तहत निर्धारित अवधि से अधिक देरी की माफी मांगी गई है।

(26) कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के बाद, अपीलकर्ता राज्य के विद्वान वकील के लिए उसके द्वारा संदर्भित केस लॉ पर चर्चा करना उचित और उचित होगा।

(27) ई चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (17) **मामले में संविधान पीठ के फैसले पर भारी भरोसा किया गया था**। का एक सावधान पढ़ने

(16) 2006 (206) ईएलटी 1091 (बीओएम)
(17) एआईआर 1997 एससी 1125

निर्णय से पता चलता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 323A के खंड (2) के उपखंड (d) और अनुच्छेद 323B के खंड (3) के उप खंड (d) की संवैधानिक वैधता पर विचार कर रहा था, जिसके द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 3 2 के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करना असंवैधानिक है। वर्तमान स्थिति में, प्रावधान की वैधता और वैधता को चुनौती नहीं दी गई है और इसके अलावा, एक क़ानून में निहित विधायी जनादेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग का प्रश्न उस मामले में विचाराधीन नहीं था, इस प्रकार, उपरोक्त घोषणा अपीलकर्ता राज्य की आसानी को आगे नहीं बढ़ाएगी।

(28) इसके अलावा, कैलाश बनाम **ननखू और अन्य** ***(जे 8),*** **सलेम एडवोकेट्स लायर एसोसिएशन तमिलनाडु** बनाम भारत संघ (19), ईशा भट्टाचार्य **बनाम रघुनाथपुर नफर अकादमी** ***(20),*** **अमलेंदु कुमार बेरा और अन्य बनाम** पश्चिम बंगाल राज्य (21), तुकाराम काना जोशी **और अन्य** बनाम एमआईडीसी और अन्य (22) **के फैसलों के संबंध में,** यह ध्यान दिया जाता है कि ये मामले या तो 1963 अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने के लिए पालन किए जाने वाले मापदंडों को निर्धारित करने से संबंधित थे, जो पर्याप्त कारण के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों के दायरे को परिभाषित कर रहे थे। 'इसमें शामिल मुद्दा अलग होने के कारण, विद्वान राज्य के वकील द्वारा कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

(29) अब हम **हरियाणा राज्य बनाम एआईकेके और अन्य** (सुप्रा) के फैसले का विज्ञापन करते हैं, जिसने बुल बेंच को संदर्भित करना आवश्यक बना दिया है, उस आसानी से मुद्दा यह था कि कंपनी को एसआईसीए के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.6.1999 के आदेश के तहत बीमार घोषित किया गया था, जिसके बाद 11.4.2001 की ड्राफ्ट पुनर्वास योजना थी। रियायतें प्रदान करने के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 21-6-2001 के पत्र द्वारा आपत्तियां दायर की गई थीं, बीआई पीआर ने एसआईसी ए की धारा 18(4) के तहत 5-7-2001 को योजना को मंजूरी दी

(18) (2005)4 एससीसी 480
(19) एआईआर 2005 एससी 3353
(20) 2013(4) आरसीआर (सिविल) 785
(21) (2013)4 एससीसी 52
(22) (2013)1 एससीसी 353

खंड 4.5 में शामिल करते हुए, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा रियायतें प्रदान करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिसमें बिक्री कर स्थगन ऋण योजना का बिना किसी समय सीमा के उपयोग और 1 अप्रैल, 1996 से आस्थगन योजना के बजाय बिक्री कर की प्रयोज्यता से कंपनी को छूट देना शामिल है। राज्य द्वारा दायर अपील को 18-9-2006 को समय-वर्जित और अभियोजन न किए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन था। अपील दायर करने से पहले, राज्य द्वारा 1 अक्तूबर, 2002 को एक पत्र लिखा गया था जिसमें इस योजना पर आपत्तियां उठाई गई थीं और 31 मार्च, 2003 के पत्र के माध्यम से भी यह बताया गया था कि इस मामले पर संचालन समिति द्वारा विचार किया जाना है। संचालन समिति ने

दिनांक 31 अगस्त, 2003 के आदेश के तहत यह निष्कर्ष निकाला कि योजना में अपेक्षित राहत अनुमेय नहीं थी और इस निर्णय से बीआईईआर को अवगत करा दिया गया था। बीयूआर ने आगे और निदेश दिए और दिनांक 5.7.2001 को योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही जारी रही। 26 अक्टूबर, 2006 को बीआईआरआर ने देखा कि योजना के पैरा 4.5(ii) और 4.5(iii) के बीच संघर्ष था। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई थी जिसे 12-2-2008 को खारिज कर दिया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 26-10-2006 के आदेश में की गई टिप्पणियों को रद्द कर दिया। राज्य द्वारा बीआईईआर द्वारा पारित दिनांक 5-7-2001 के आदेश और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर, 2006 के आदेश के विरुद्ध पारित दिनांक 12-2-2008 के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी। तथापि, अपीलीय प्राधिकारी के दिनांक 18-9-2006 के आदेश (जिसमें दिनांक 5-7-2001 के आदेश को आक्षेपित किया गया था) जिसमें राज्य की अपील को समय-वर्जित और गैर-अभियोजन के रूप में खारिज कर दिया गया था, रिट याचिका में कभी भी उल्लंघन नहीं किया गया था। उस आसानी के अजीबोगरीब तथ्यों में और उसमें प्रतिवादी नंबर 3 के आचरण को ध्यान में रखते हुए, डिवीजन बेंच ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था और बीआईईआर के दिनांक 5.7.2001 के आदेश और अपीलीय प्राधिकारी के दिनांक 12.2.2008 के आदेश को रद्द कर दिया था। अपनी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए विद्वान राज्य वकील ने उसमें दर्ज डिवीजन बेंच की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया था।

> "हम पाते हैं कि स्टाल ने एक अपील दायर की थी जिसे सीमा द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन राज्य अन्य कदम उठा रहा था और योजना के कार्यान्वयन के लिए बीआईईआर के समक्ष कार्यवाही जारी रही। एएआईएफआर की यह टिप्पणी कि किसी भी स्थिति में एसआईसीए की धारा 25 के तहत 60 दिनों से अधिक के विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती है, कानून की सही व्याख्या नहीं है। उक्त प्रावधान को अनिवार्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, जैसा कि कई निर्णयों (धारा कैलाश बनाम नानकू एआईआर 2005 एससी 2441) में आयोजित किया गया है। किसी भी मामले में, भले ही उक्त विचार सही हो, यह अदालत बीआईपीआर के आदेश को रद्द करने से वंचित नहीं है।

(30) ऊपर उल्लिखित हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर, पैरा 29 में पुन: प्रस्तुत डिवीजन बेंच की टिप्पणियों को इस मुद्दे को सही ढंग से तय करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है और हम उक्त दृष्टिकोण की सदस्यता लेने की स्थिति में नहीं हैं और तदनुसार, हम इसे खारिज करते हैं।

(31) कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के बाद, यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता राज्य द्वारा अपीलकर्ता के समक्ष अपील दायर करने में 354 दिनों की देरी हुई थी। अपीलीय प्राधिकारी के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश ने समय वर्जित मानते हुए अपील को खारिज कर दिया था। एसआईसीए की धारा 25(1) में निर्धारित क्षम्य अवधि से अधिक विलंब होने के कारण लेटर्स पेटेंट अपील में कोई मेरिट नहीं है। नतीजतन, इसे खारिज कर दिया जाता है।

के सूरी

अस्वीकरण**:** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

अमृतबीर कौर

प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी

असंध**,** कर्नल
हरियाणा